<u>समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)</u>

<u>युगल पीठ</u>

<u>कोरम:</u> माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर (न्यायाधीशगण)

<u>दांडिक अपील क्रमांक 974/2002</u>

<u>अपीलार्थी:</u> जुरबी कोरवा

विरुद्ध

<u>उत्तरवादी:</u> छत्तीसगढ़ शासन

<u>विचार हेतु निर्णय</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

<u>माननीय न्यायाधीश श्री आर.एल.झंवर</u>

मैं सहेमत हूँ

सही/-
आर.एल.झंवर
न्यायाधीश

<u>उद्घोषणा हेतु दिनांक 27 नवम्बर 2009 को सूचीबद्ध करें</u>

सही/-
टी पी शर्मा
न्यायाधीश
27-11-2009

समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

युगल पीठ

कोरम: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर

दांडिक अपील क्रमांक 974/2002

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी: जुरबी कोरवा, पिता- जगुआ, उम्र- 38 वर्ष, पेशा- मजदूरी, निवासी- ग्राम विनायकपुर, पुलिस थाना शंकरगढ़, जिला- सरगुजा (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुलिस थाना शंकरगढ़, जिला- सरगुजा (छत्तीसगढ़)

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थित:

श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी

श्री आशीष शुक्ल, शासकीय अधिवक्ता वास्ते शासन/उत्तरवादी

<u>निर्णय</u>

(27 नवम्बर, 2009)

<u>निम्नलिखित न्यायालय का निर्णय श्री टी.पी. शर्मा द्वारा पारित किया गया है:</u>

1. इस अपील के माध्यम से, अपीलार्थी ने दिनांक 27-8-2002 को माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 12/2002 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश की वैधता एवं औचित्य को चुनौती दी है, जिसके द्वारा एवं जिसके अंतर्गत, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी रितलो बाई की हत्या कारित कर मानव वध कारित किया है, जो हत्या की श्रेणी में आता है, और इस प्रकार उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा उसे आजीवन कारावास का दण्ड एवं ₹1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने का आदेश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बिना किसी विश्वसनीय एवं निर्णायक साक्ष्य के अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दण्डित किया है, जिससे उन्होंने विधि के उल्लंघन द्वारा गंभीर अनियमितता की है।

3. अभियोजन का संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रितलो बाई (स्वर्गीय), जो अपीलार्थी की पत्नी थी, अपने पति अपीलार्थी के साथ ग्राम विनायकपुर, थाना शंकरगढ़, जिला सरगुजा में निवास करती थी। दिनांक 20-11-2001 को रात्रि लगभग 9 बजे अपीलार्थी अपनी पत्नी रितलो बाई से झगड़ा कर रहा था। अपीलार्थी ने रितलो बाई पर कुल्हाड़ी से प्रहार करने हेतु उसका पीछा किया। रितलो बाई अपने घर से भागकर अपने भाई भुरंडा (अ.सा.क्रं -4) के घर पहुंची। वहाँ अपीलार्थी ने रितलो बाई के सिर के पार्श्व भाग पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया, जिससे रितलो बाई नीचे गिर पड़ी और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। रितलो बाई के भाई भुरंडा (अ.सा.क्रं -4) ने दिनांक 21-11-2001 को प्रदर्श पी 3 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। मर्ग भी प्रदर्श पी 2 के अनुसार दर्ज किया गया। अन्वेषण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुआ और प्रदर्श पी 10 के अनुसार गवाहों के समक्ष रितलो बाई के शव का पंचनामा प्रदर्श पी 11 तैयार किया। मृतका का शव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शंकरगढ़ भेजा गया, जहाँ डॉ. श्रीमती जे. कुजूर (अ.सा.क्रं -14) द्वारा प्रदर्श पी 8ए के अनुसार पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर ने दाहिनी ओर के लौकिक क्षेत्र पर एक चीरेदार घाव पाया, जो दायां पश्चकपाल क्षेत्र से लेकर दाहिने कान के अग्र भाग तक फैला हुआ था, जिसका आकार 4.5" × 1" × 2" था। इसके अतिरिक्त गर्दन के ऊपरी दाहिने भाग पर 1.5" × 1½" × 1½" का एक अन्य चीरेदार घाव पाया गया। आंतरिक परीक्षण में दाहिने कान के उपास्थि, दाहिनी पश्चकपाल हड्डी एवं अस्थाई हड्डियां कटे हुए पाए गए। सभी घाव जीवितावस्था में पाए गए तथा मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव था जो सिर पर लगी गंभीर चोट के परिणामस्वरूप हुआ। मृतका के रक्तरंजित वस्त्रों को प्रदर्श पी 1 के अनुसार सील एवं जब्त किया गया। आरोपी से रक्तरंजित कुल्हाड़ी प्रदर्श पी 4 के अनुसार बरामद की गई। रक्तरंजित एवं साधारण मिट्टी तथा टूटी हुई चूड़ियाँ घटनास्थल से प्रदर्श पी 6 के अनुसार जब्त की गईं। कुल्हाड़ी का परीक्षण डॉक्टर द्वारा प्रदर्श पी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9 के अनुसार किया गया। पटवारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी 5 तैयार किया गया। जब्त सामग्री को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श पी 15 के अनुसार भेजा गया। गवाहों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। अन्वेषण पूर्ण होने पर आरोप-पत्र मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से मामला सत्र न्यायालय, अंबिकापुर को विचारण हेतु उपार्पित किया गया, और तत्पश्चात यह मामला चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर को परीक्षण हेतु स्थानांतरित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी का अपराध सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा कुल सोलह (16) गवाहों का परीक्षण किया गया। अभियुक्त का बयान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध प्रस्तुत समस्त परिस्थितियों का खंडन किया, स्वयं को निर्दोष बताया तथा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा एवं मनगढ़ंत बताया।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने हैं तथा न्यायालय के अभिलेख एवं आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया है ।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय ने बिना किसी विश्वसनीय एवं निर्णायक साक्ष्य के अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दण्डित किया है। कथित चक्शुदर्शी गवाह दसरी बाई (अ.सा क्रं.-5) एवं बोधन (अ.सा.क्रं.-6) के कथन विश्वसनीय नहीं हैं तथा उक्त गवाहों ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों के तर्कों का सम्यक मूल्यांकन करने हेतु, हमने गवाहों के कथनों का परीक्षण किया है। अपीलार्थी की पत्नी रितलो बाई की मृत्यु जीवितावस्था में लगी घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई मानव वध के रूप में हुई — इस तथ्य पर अपीलार्थी द्वारा कोई विशेष विरोध नहीं किया गया है। इसके विपरीत, यह तथ्य टेकवा (अ.सा. क्रं .-1), श्रीमती गुलमी (अ.सा. क्रं .-2), भुरंडा (अ.सा. क्रं .-4), दसरी बाई (अ.सा. क्रं .-5), बोधन (अ.सा. क्रं .-6) एवं डॉ. श्रीमती जे. कुजूर (अ.सा. क्रं .-14) के साक्ष्यों से, साथ ही मर्ग सूचना (प्रदर्श पी 2),

प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी 3) तथा शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी 8) से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि मृतका के पश्चक्पाल क्षेत्र एवं ग्रीवा क्षेत्र पर दो चीरेदार घाव पाए गए थे तथा घाव क्रमांक 1 के नीचे पश्चक्पाल एवं अस्थाई हड्डियाँ एवं उपास्थिया कटे हुए पाए गए, जो मृतका रितलो बाई की मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थे।

8. अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं न्यायालय के बाहर किए गए स्वीकारोक्ति पर आधारित है। अभियोजन ने अपीलार्थी की संलिप्तता सिद्ध करने हेतु चक्शुदर्शी गवाहों के रूप में दसरी बाई (अ.सा. क्रं.-5), जो अपीलार्थी की सास हैं, एवं बोधन (अ.सा. क्रं.-6), जो मृतका के चाचा हैं, का परीक्षण किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. टेकवा (अ.सा. क्रं .-1) वह व्यक्ति है, जिसके समक्ष अपीलार्थी ने न्यायालय के बाहर स्वीकारोक्ति की थी। दसरी बाई (अ.सा. क्रं .-5) ने अपने बयान में यह कहा है कि अपीलार्थी ने उसकी पुत्री रितलो बाई पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या की। उसने घटना में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, किंतु अपीलार्थी ने रात्रि के समय अपने आँगन

में ही रितलो बाई को घातक चोट पहुँचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

10. बोधन (अ.सा. क्रं .–6) ने अपने साक्ष्य में यह कथन दिया है कि अपीलार्थी ने कुल्हाड़ी से रितलो बाई को चोट पहुँचाई। जब उसने कुल्हाड़ी छीनने का प्रयास किया, तब अभियुक्त ने उस पर भी आघात किया, जिससे वह वहाँ से भाग गया। उसने यह भी कथन दिया कि अपीलार्थी ने अपने घर से कुल्हाड़ी ली और अपनी सास दासरी के घर गया, जहाँ उसने रितलो बाई को चोट पहुँचाई। आगे उसने यह भी कहा कि दासरी बाई के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वह उसके घर गया, जहाँ उसने रितलो बाई का शव देखा। दासरी बाई ने उसे बताया कि अभियुक्त ने रितलो बाई को चोट पहुँचाई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अपने प्रतिपरीक्षण में दासरी बाई (अ.सा. क्रं.–5) ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय मृतका तथा अपीलार्थी दोनों ने शराब का सेवन किया था, परंतु तत्पश्चात उसने यह कहा कि केवल अपीलार्थी ने ही शराब पी थी। अपीलार्थी मद्यपान की अवस्था में था, वह अपने

घर गया और वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर आया। तथापि, उसने इस सुझाव से इंकार किया कि उसकी पुत्री रितलो बाई गिर जाने से घायल हुई और उसी के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उसने यह सुझाव भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी पर कोई प्रहार नहीं किया। उसके विस्तृत कथन से यह स्पष्ट होता है कि वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने यह घटना अपने आँगन में घटित होते हुए देखी, और घटना से पूर्व अपीलार्थी तथा मृतका दोनों उसके घर आए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. टेकवा (अ.सा. क्रं .–1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन दिया है कि अपीलार्थी ने उसे बताया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। किन्तु, अपने प्रतिपरीक्षण में उसने यह स्वीकार किया कि अपीलार्थी और उसके मध्य हत्या से संबंधित कोई वार्तालाप नहीं हुई थी।

13. श्रीमती गुल्मी (अ.सा. क्रं.–2) ने अपने साक्ष्य में यह कथन दिया है कि घटना से पूर्व अपीलार्थी अपनी पत्नी का पीछा कर रहा था तथा

उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। कुछ समय पश्चात् उसने रितलो बाई का शव अपने आँगन में देखा। यह साक्षी मृतका की संबंधी है (देवरानी–भाभी के संबंध में)। भुरुंडा (अ.सा. क्रं.–4), जो मृतका का भाई है, ने भी अपने कथन में यह कहा है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी रितलो बाई को चोट पहुँचाई थी तथा प्राप्त चोटों के कारण ही रितलो बाई की मृत्यु हुई। तथापि, अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मृतका एवं अपीलार्थी दोनों ने शराब का सेवन किया था और मद्यपान के कारण वे गिर रहे थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने घटना को स्वयं नहीं देखा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वर्तमान प्रकरण में, दासरी बाई (अ.सा. क्रं.–5), जो मृतका की माता एवं अपीलार्थी की सास हैं, ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है, जिसने अपनी पत्नी रितलो बाई को उसके आँगन में घातक चोटें पहुँचाई थीं, जिनके परिणामस्वरूप रितलो बाई की मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी का विस्तृत रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया, तथापि उसकी जिरह में ऐसा कोई तथ्य उभरकर नहीं आया जिससे उसकी साक्ष्य को अविश्वसनीय या

संदेहास्पद ठहराया जा सके। वह चक्शुदर्शी साक्षी है तथा मृतका एवं अपीलार्थी दोनों की निकट संबंधी है, परंतु केवल इस आधार पर कि वह मृतका की माता है, उसकी साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्बंधित साक्षी वास्तविक अपराधी को बचाने तथा निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने वाला अंतिम व्यक्ति होता है। संबंधी साक्षी की विश्वसनीयता के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दलिप सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य[1] के मामले में यह अधिनिर्धारित किया है कि कोई भी साक्षी सामान्यतः स्वतंत्र मानी जाएगी, जब तक कि वह ऐसे स्रोत से उत्पन्न न हो, जो पक्षपातपूर्ण अथवा दूषित माने जा सकते हों। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 26 में यह कहा गया है कि—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"26. सामान्यतः किसी साक्षी को स्वतंत्र माना जाता है, जब तक कि वह ऐसे स्रोत से उत्पन्न न हो जो पक्षपातपूर्ण या दूषित प्रतीत होते हों, और इसका सामान्य अर्थ यह होता है कि जब तक साक्षी के पास अभियुक्त के प्रति शत्रुता जैसी कोई व्यक्तिगत वजह न हो, जिससे वह अभियुक्त को झूठा फँसाने का प्रयत्न करे। सामान्यतः कोई निकट संबंधी वास्तविक अपराधी को बचाने और किसी निर्दोष

[1] ऐ आई आर 1953 एस सी 364

व्यक्ति को झूठा फँसाने वाला अंतिम व्यक्ति होता है। यह सत्य है कि जब भावनाएँ तीव्र होती हैं और व्यक्तिगत शत्रुता का कारण विद्यमान होता है, तब कभी-कभी ऐसा झुकाव देखा जाता है कि साक्षी अपने मन में द्वेष रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को जो निर्दोष हो को भी अपराधी के साथ संलिप्त करदे; किन्तु ऐसे तर्क के लिए ठोस आधार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। केवल संबंध मात्र का तथ्य ऐसा आधार नहीं बन सकता; बल्कि अनेक बार संबंध होना सत्यता की दृढ़ गारंटी भी सिद्ध होता है। तथापि, हम कोई सर्वमान्य सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामला अपने विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों पर आधारित होकर ही निर्णय के योग्य होता है। हमारी यह टिप्पणियाँ केवल इस धारणा का विरोध करने हेतु की गई हैं कि ऐसे मामलों में कोई सामान्य सावधानी का नियम लागू होना चाहिए — वस्तुतः ऐसा कोई सामान्य नियम अस्तित्व में नहीं है। प्रत्येक मामले को अपने विशिष्ट तथ्यों के आधार पर ही सीमित और निर्धारित किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस प्रश्न से संबंधित रूप में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरुमुगम बनाम राज्य[2] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है — "संबंध किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अधिकतर मामलों में संबंधी वास्तविक अपराधी को छिपाने और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने का प्रयास नहीं करता। यदि झूठे आरोप का प्रश्न उठाया जाता है तो उसका ठोस आधार प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसे मामलों में न्यायालय को सतर्क दृष्टिकोण अपनाना होगा तथा साक्ष्यों का विशद परीक्षण कर यह आकलन करना होगा कि वे तर्कसंगत और विश्वसनीय हैं या नहीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. वर्तमान प्रकरण में, एकमात्र संबंधी साक्षी दासरी बाई (अ.सा. क्रं.–5) का कथन विश्वास उत्पन्न करने वाला है, वह विश्वसनीय है तथा उस पर भरोसा किया जाना सुरक्षित है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् मूल्यांकन करने के उपरांत, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है, जिसने मृतका को घातक चोटें पहुँचाई थीं, जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई।

---

[2] 2008 ऐ आई आर एस सी डब्लू 7354

17. आक्षेपित अपराध में अभियुक्त के उद्देश्य के संबंध में यह सिद्धांत स्थापित है कि जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होता है, वहाँ उद्देश्य का महत्व गौण हो जाता है। फिर भी, परिस्थितियों से उद्देश्य का अनुमान लगाया जा सकता है — जैसे प्रयुक्त हथियार का प्रकार, चोट की प्रकृति, शरीर का वह भाग जहाँ चोट पहुँचाई गई तथा चोट पहुँचाने का तरीका, ऐसी परिस्तिथियाँ मानी जाती हैं।

18. वर्तमान प्रकरण में, दासरी बाई (अ.सा. क्रं.–5) के कथनानुसार प्रारम्भ में अपीलार्थी उसके घर में बिना किसी हथियार के बैठा हुआ था, किन्तु तत्पश्चात वह अपने घर गया, वहाँ से कुल्हाड़ी लाया और मृतका को घातक चोटें पहुँचाईं। यह तथ्य अपीलार्थी के गंभीर आपराधिक मनोभाव को प्रदर्शित करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी ने जानबूझकर मृतका रितलो बाई को बार-बार घातक चोटें पहुँचाईं, जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परीक्षण करने के उपरांत, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को अपनी पत्नी (मृतिका) की हत्या कारित करने हेतु दोषसिद्ध ठहराया है तथा उपर्युक्त

प्रकार से दण्डित किया है। अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित है, जो विधि की दृष्टि में पूर्णतः वैध एवं न्यायसंगत है।

20. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के उपरांत, हमें आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता परिलक्षित नहीं होती, जिसके आधार पर इसमें हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। अपील निरर्थक एवं निराधार होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है, अतः इसे निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
टी पी शर्मा
न्यायाधीश

सही/-
आर एल झंवर
न्यायाधीश
27-11-2009

<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

<u>Translated by:</u> Adv. Navdeep Agrawal